



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 43/2017

बउनवान

श्रीकृष्ण आयु 97 वर्ष पुत्र रामलाल उर्फ रमला मीणा निवासी झारखण्ड तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री नन्द किशोर गुर्जर अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.1.2019

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 152/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.4.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम खेडली नाहरिया की सरकारी भूमि किस्म बरानी 2 सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 585 की रकबा 1.88 हेक्टर पर फसल गेहूँ/धानी की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 658/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.7.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रकरण संख्या 14/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया गया आदेश दिनांक 25.7.2017 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। उक्त आराजी अपीलांट के पिता एवं दादाजी के खाते दर्ज थी। जो सीलिंग में अधिगृहित होकर, वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। प्रकरण में दौराने बहस अपीलांट के अभिभाषक द्वारा रूलिंग आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 501 Doonger Singh V. Stste of Raj प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट

की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्त का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलान्त की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा नहीं है। उक्त विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट भी नहीं है। अपीलान्त को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.5.2017 को पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 22.5.2017 को आवेदन पेश कर दिनांक 25.5.2017 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्त द्वारा सरकारी भूमि किस्म बरानी 2 पर अतिक्रमण किया है। जो वर्तमान में सिवायचक दर्ज है, ओर जो रूलिंग अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया ओर तामील करवाई गयी है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलान्त द्वारा पुनः सम्वत् 2071 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलान्त वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। हम परोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 152/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 17.4.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां